कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0, आगरा

पत्रांक 772 / 5सी0

दिनांक 21/4/15

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
आगरा वृत, लो0नि0वि0,
आगरा।

विषयः– **एस्सार ऑयल लिमिटेड़ को आगरा–बाह–कचौराघाट मार्ग (राज्य मार्ग–62) के किमी0–24, चैनेज–23.280 खसरा सं0–1187, 1188 एवं 1191, मेवाली कला, तहसील–फतेहाबाद, जिला–आगरा में पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध मे।।**

संदर्भः– **कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा का पत्र सं0– 210/आबकारी सहायक दिनांक 04.02.2015**

महोदय,

प्रस्तुत मानचित्र एवं सहायक अभियन्ता की जॉच आख्या/संस्तुति के आधार पर रिपोर्ट निम्नवत् हैः–

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
2. प्रस्तावित कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराया गया है।
3. आवेदन के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित निर्माण में कोई वाद किसी न्यायालय में उ0प्र0 रो0सा0ले0के0 एक्ट–1945 की धारा–13(1) अथवा 13(2) विचाराधीन नहीं है।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर निगम सीमा के बाहर है।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य आगरा–फतेहाबाद मार्ग (राज्य मार्ग–62) के किमी0–24, चैनेज–23.280 में दॉयी ओर पड़ता है।
6. प्रस्तावित स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नही है।
7. प्रस्तावित स्थल से 300मी0 तक कोई पेट्रेल पम्प नहीं है।
8. प्रस्तावित स्थल ओपिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है।
9. आई0आर0सी0–12–1983 की प्रक्रिया के अनुसार फिलिंग स्टेशन के लिये निर्धारित मापदण्डों की मानचित्र में पूर्ति होती है।
10. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के 1.00 किमी0 की दूरी पर कोई चैक बैरियर नहीं है।
11. रिटेल आउटलेट पर वाहनों के प्रवेश एवं निकास के कर्ब्स की चौड़ाई कम से कम 11.50 मी0 होनी चाहिए।
12. बफर स्ट्रिप 12 मी0 की लम्बाई और 3 मी0 की चौड़ाई में जैसी की नक्शे में प्रदर्शित है। तदानुसार ही निर्माण कार्य करना होगा एवं उस हेतु शपथ पत्र भी देना होगा।
13. भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से आख्या प्राप्त कर ली जाये।
14. आवेदन का प्रस्तावित निर्माण एवं रिटेल आउटलेट लगाने की अनुमति की संस्तुति मार्ग के मध्य से 22.86 मी0 की दूरी पर चाही गयी है। शासन के प. 979/23–2–2009 लो0नि0 अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 27 मई 2009 के अनुसार स्थाई निर्माण की संस्तुति नहीं की जा सकती है, किन्तु विशेष परिस्थिति में अनुमति दी जा सकती है।

(क) मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रॉसपोर्ट एण्ड हाईवे (MORTH) भारत सरकार के पत्र सं0– आर0डब्ल्यू0/एन0एच0–33023/19/99–डी0ओ0 दिनांक 25.09.2003 में अंकित बिन्दु सं0–6.10 में उल्लेखित है कि ऑयल कं0/स्वामी को लाइसेंस डीड जारी करने से पूर्व लो0नि0वि0/राजकीय भूमि को लाने की फीस रू0 1.00 लाख सहित 15 वर्ष की अवधि के लिए विभाग से इकरारनामा (एग्रीमेंट) करना होगा।

(ख) आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के उपरान्त किसी प्रकार से यातायात के संचालन से अवरोध न होने पाये।

(ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये किसी दशा में नाली को बन्द नहीं किया जायेगा साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी दशा में सड़क पर न आने पाये। पानी निकासी हेतु पम्प के सामने पक्के नाले का निर्माण कराना होगा।

(घ) पेट्रोल पम्प के स्थल को लेविल मार्ग के लेपित सतह से ऊँचा नहीं रखा जायेगा।

उपरोक्त रिटेल आउट लेट पांच मानचित्र तीन चेकलिस्ट पूर्ण केस आपकी सेवा में अनापत्ति दिये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– प्रकरण मूल में मय 5 मानचित्र।

21/4/15
(अजय कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0,
आगरा

पत्रांक /

दिनांक..............

प्रतिलिपिः– अवर अभियन्ता (प्रा0) नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0–1(ता0ट्रि0)लो0नि0वि0,
आगरा